

उत्तराचल शासन
वित्त अनुग्राम-5
संख्या- /XXVII(5)/ स्टाम्प/ 2005
देहरादूनः दिनांक/१३ अगस्त, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) वरी धारा 78 के अधीन शहिलयों का प्रयोग करके इस अधिकृतना के सरकारी गजांट में प्रकाशित किये जाने वाली सारीख से दीए चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 100 लाख रुपये (दस लाख रुपये) वी शीपा तक तो जट्ठ प्राप्त करने के लिये दीक देना में निष्पादित भूमि के पश्चिमी बंधव विलेख पर प्रगार्य पर्यायशङ्का शुल्क से छूट देने वाली शीकृति प्रदान करते हैं।

16 (Stamp) अप्रैल
दिनांक 15-५-२०३३ द्वारा दिल्ली
संख्या २३५ (१) / XXXVII

(राधा रत्नांडी)
सचिव।

राख्या १३५ (१) / XXVII(५) / स्टाम्प / २००५, तददिनांक ।
प्रतिक्रिया दिनांक →

प्रात्तिहासिक निर्माकित वा शूचना एव आदयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-संग्रह संग्रह अधिकारी / अधिकारी

- 1-समर्पित प्रगुरुल सचिव / सचिव, उत्तराराचल शासन।
 2-रागउत गण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराराचल।
 3-गहानिरीदाक, निवासन, उत्तराराचल, देहरादून।
 4-उआ-निकेशक, राजकीय प्रेस, राजकीय को इस अनुरोध सहित कि वे अधिकूपना वगे उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रवर्गित करते हुये उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अमुमाग-5 में अविलाय उपलब्ध करा दें।
 5-न्याय / विधायी अमुमाग, उत्तराराचल शासन, देहरादून।
 6-गार्ड फाईल।

अनुभाव
जावेष्यक कार्यवाही कौं

२०५१ अप्रूप वार्ष
उत्तराखण्ड, देहरादून

आङ्ग भ.
(एसोर) प्रबु (संदेश)
अनु रचित।